राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं.(3(2)कार्मिक/क–2/91पार्ट-3 जयपुर, दिनांकः 16-07-2018

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।

2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

राजस्थान राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सृजित अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के पदों पर नियुक्ति कार्मिकों को विनियमित करनें के लिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.1.2014 के द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 जारी किये गये। उक्त नियम जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.5.2018 के द्वारा भारत सरकार की पूर्व अधिसूचना सं 19(2)80–एल–1 दिनांक 12.2.81 द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसूचित क्षेत्र को पुनः परिनिश्चित किया गया है। अतः राज्य में पुनः परिनिश्चित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कार्मिकों के लिए निम्न नियम मान्य होगेः–

1. विभिन्न विभागों के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सृजित पदों पर कार्यरत/पदस्थापित अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के सभी कर्मचारियों से उनके नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उन्हें सूचित किये जानें की तिथि से 1 माह की अवधि के भीतर इस आशय का विकल्प पत्र लिया जावे कि वे भविष्य में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत ही कार्यरत रहना चाहते है अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कार्य करना चाहते है। यह कार्य समुचित प्रचार–प्रसार उपरान्त 1 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2. राज्य के पुनः परिनिश्चित विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के जो कर्मचारी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प पत्र देते है ऐसे कार्मिको के स्थान पर वैकल्पिक कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक उनका स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर नहीं किया जावे। जो कर्मचारी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रहने का विकल्प देते हैं उनका कभी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया जावेगा।

circular - 39

www.rajteachers.com

3. विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में भर्तियों के संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा दिनांक 4.7.2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र की समस्त रिक्तियों को भरा जायेगा। इसके लिए सभी विभाग अलग से रोस्टर रजिस्टर संधारित करेंगे।

अतः सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करानें की व्यवस्था करें।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
8. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

16/7/2018
संयुक्त शासन सचिव

43/2018

www.rajteachers.com